न्यायालय श्रीमान सदस्य महोंदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री भरतलाल अग्रवाल निवासी मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)..आवेदिका / निगराकार

निग/3833/II-15

बनाम

1) शासन म0प्र0

2) श्रीमती विभा चतुर्वेदी पत्नी श्री उमेश चतुर्वेदी निवासी ग्राम बिरहुली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....अनावेदक / गैरनिगराकारगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि 26-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी (पुनरीक्षण) विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना प्रथम तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 जरिये रा0प्रकरण क्रमांक 188अ12 / 2014–15 आदेश दि0 30 / 09 / 15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मुकेश भार्गव 26-11-15 एडवोकेट ग्वालियर

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदिका / निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका / निगराकार मौजा बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी खसरा नं0 285 / 1 / ख / 3 रकवा 0.077 हे0 की अभिलिखित भूमिस्वामी व काबिजदार है जिसे आवेदिका ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.03.1991 को क्रय किया गया है व अपने स्वामित्व की उक्त आराजी पर पत्थर, ढोका की बाउण्ड्री बॉल लगभग 5 फिट ऊंची निर्मित कराकर मौके से काबिज दाखिल चली आ रही है।

दिनांक 15.11.2015 को गैरनिगराकार क्र0 2 मौके पर जाकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3833–दो/2015 **जिला** सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सुनीता / शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.15 की प्रमाणित प्रति एवं उसके संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखो की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सूचना पत्र दिनांक 11.09.15 जारी किया गया है उसमें आवेदिका का नाम तो है किन्तु उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अनावेदिका को सूचना नहीं दी गयी है। स्थल पंचनामा दिनांक 15.9.15 पर भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है। इसके साथ ही सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15.9.15 का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सर्वे कमांक 306 जो बंदोबस्ती नाला है के उत्तरी पश्चिमी कोने में तथा सर्वे कमांक 232 जो बंदोबस्ती सड़क है के उत्तरी–पूर्वी कोने में बिन्दु "ए" कायम कर सीमांकन की कार्यवाही की गयी। यहॉ यह तथ्य विचारणीय है कि जो बन्दोवस्ती सड़क एवं नाले के कोने को सीमांकन का आधार बिन्दु बनाया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि नाला घटबढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में सीमांकन हेतु जो बिन्दु "ए" सीमाचिन्ह निर्धारित किया गया है वह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदिका को सूचित किया जाना सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में हितबद्ध पक्षकारों की अनुपस्थित में भी किया गया सीमांकन उचित नहीं है। सीमाकन हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थित में विधि अनुसार किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन	

सुनीता / शासन

R. 3833/II/15 सतना

स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जता है कि वे समस्त हितवद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्थायी बन्दोबस्ती सीमाचिन्ह को सीमांकन का आधार बिन्दु निर्धारित कर संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अनुसारण में पुनः सीमांकन की कार्यवाही 3 माह में पूर्ण करें । साथ ही आवेदिका एवं अनावेदिका को भी आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उनके द्वारा निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से सीमांकन स्थल पर उपस्थित रह कर सीमांकन की कार्यवाही में सहयोग करें। पुनः सीमांकन की कार्यवाही संपादित होने तक पूर्व में जारी किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 30.9.15 प्रभावशून्य रहेगा। नवीन आदेश जारी होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे। प्रकरण दा. रि. हो।

10.12.15

सदस्य